

अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

फर्द अहकाम

उनवान
म धारा २१२ बनाम २१२

वाद / प्रा.पत्र मु०नं० ७५०/२०२४

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनगठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है. प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक २१.११.२३ को पेश हो।

२०/११/२४

Ahsan

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

२१/११/२४ पत्रावली के अंतर्गत कौशल शाही द्वारा प्रस्तुत शर्कत पर बाबत श्री सुनवाई का प्रस्तुत हुआ कौशल शाही की एकपक्षीय बरस सुनी गई शर्कत पर श्री सुनवाई का एकपक्षीय स्वीकार किया गया फावली सिगरेट से नाला की गई कौशल शाही ने निवेदन किया की पिचाराकीन प्रकरण में शाही आगे कोई शर्कत नहीं धारण है प्रकरण को नोट प्रेस में विद्रो करना चाहता है आता नोट प्रेस में शाही के शर्कत पर को शर्कत विचारणा के पत्रावली के अंतर्गत बरस नाला से कस किया जाये

२०१ प्रेस
[Signature]

श्याम लाल गुर्जर

Ahsan

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा